

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक/रीडर/2017/1761

दिनांक 18/7/17

प्रेषित :-


तहसीलदार सेड़वा

विषय :- राजस्व वाद सं. 122/2017 अनवान तेजाराम वगैरा बनाम भैराराम वगैरा में निर्णय की पालना करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है इस न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त वाद में निर्णय दिनांक 15/7/17 को पारित किया गया है।। अतः उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति सलंगन कर भिजवाई जा रही है। उक्त निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे।

सलंगन :- निर्णय की प्रमाणित प्रति।




सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन
(SDO) चौहटन

डिक्री ब मुकदमें इबतदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाबता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appledix 'D'-1)

अज अदालत
व इजलास
अनवान

सहायक कलक्टर चौहटन
श्री भागीरथराम, आर.ए.एस.

मुकाम

चौहटन

वादीगण :- 1.तेजाराम 2.भभूताराम 3.चेनाराम पि.खरथाराम 4.मेहराराम
पुत्र भीयाराम 5.रामाराम पुत्र गुमनाराम 6.केशराराम पुत्र जुगताराम
7.वीरों पत्नि जेठाराम 8.पोमाराम पुत्र जुगताराम जाति जाट
निवासी नेहरों का तला, सेड़वा, तहसील सेड़वा

बनाम

प्रतिवादीगण:- 1. भैराराम 2.धर्माराम 3.केशाराम पि.विशनाराम 4.झीमों पत्नि विशनाराम
जाति जाट, निवासी नेहरों का तला, सेड़वा।
5.बाबूलाल 6.अचलाराम 7.हिन्दूराम पि. केसराराम जाति जाट
निवासी नेहरों का तला, तहसील सेड़वा
8.शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे सेड़वा
9.तहसीलदार सेड़वा।



वाद बाबत 88 RT Act.

मुकदमा नं. 122/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु.ब.रु. न्यायालय बहाजरी श्री बाबूलाल जाणी एड. उपस्थित मिनजानिब मुदाई व एड. मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम नेहरों का तला तहसील सेड़वा के खसरा सं. 264 रकबा 01.01 बीघा, खसरा सं. 278 रकबा 00.10 बीघा, खसरा सं. 314 रकबा 59.07 बीघा, खसरा सं. 319 रकबा 00.06 बीघा, खसरा सं. 282 रकबा 178.00 बीघा, खसरा सं. 309 रकबा 29.16 बीघा, खसरा सं. 320 रकबा 154.08 बीघा, खसरा सं. 255 रकबा 15.08 बीघा का आया हुआ है। उपरोक्त वादग्रस्त में प्रतिवादी सं. 1 से 4 का नाम हटाते हुए खसरा सं. 264 रकबा 01.01 बीघा, खसरा सं. 278 रकबा 00.10 बीघा, खसरा सं. 314 रकबा 59.07 बीघा, खसरा सं. 319 रकबा 00.06 बीघा में वादीगण सं. 1 से 3 को 1/4 हिस्सा, वादी सं. 4 को 1/4 हिस्सा, वादी सं. 5 को 1/4 हिस्सा, वादी सं. 6 से 8 को 1/4 हिस्सा, खसरा सं. 282 रकबा 178.00 बीघा में वादी सं. 1 से 3 को 1/4 हिस्सा से रकबा 44.10 बीघा, वादी सं. 4 का 1/4 हिस्सा से रकबा 44.10 बीघा, वादी सं. 5 का 1/4 हिस्सा से 44.10 बीघा, वादी सं. 6 से 8 का 35.12 बीघा व प्रतिवादी सं. 5 से 7 को 08.18 बीघा, खसरा सं. 309 रकबा 29.16 बीघा में वादी सं. 1 से 3 का 1/4 हिस्सा से 07.09 बीघा, वादी सं. 4 का 1/4 हिस्सा से रकबा 07.09 बीघा, वादी सं. 5 का 1/4 हिस्सा से रकबा 07.09 बीघा, वादी सं. 6 से 8 का 5.19 बीघा व प्रतिवादी सं. 5 से 7 का 01.10 बीघा, खसरा सं. 320 रकबा 154.08 बीघा में वादी सं. 1 से 3 का 1/4 हिस्सा से रकबा 38.12 बीघा, वादी सं. 4 का 1/4 हिस्सा से रकबा 38.12 बीघा, वादी सं. 5 का 1/4 हिस्सा से 38.12 बीघा, वादी सं. 6 से 8 तथा प्रतिवादी सं. 5 से 7 का 1/4 हिस्सा से रकबा 38.12 बीघा, खसरा सं. 255 रकबा 15.08 बीघा में वादी सं. 1 से 3 का 1/4 हिस्सा से रकबा 03.17 बीघा, वादी सं. 4 का 1/4 हिस्सा से रकबा 03.17 बीघा, वादी सं. 5 का 1/4 हिस्सा से रकबा 03.17 बीघा तथा वादी सं. 6 से 8 तथा प्रतिवादी सं. 5 से 7 का 1/4 हिस्सा से 03.17 बीघा का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है, कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

..... बीज मबलिंग बाबत
..... पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी
तक को अदा करे।

वसगत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 15/7/17 को जारी की गई।

दस्तखत.....

मुहर

सहायक कलक्टर
ओहदा
(SDO) चौहटन

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 122/2017

पीठासीन अधिकारी - श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अनवान

वादीगण :- 1.तेजाराम 2.भभूताराम 3.चेनाराम पि.खरथाराम 4.मेहराराम
पुत्र भीयाराम 5.रामाराम पुत्र गुमनाराम 6.केशराराम पुत्र जुगताराम
7.वीरों पत्नि जेठाराम 8.पेमाराम पुत्र जुगताराम जाति जाट
निवासी नेहरों का तला, सेड़वा, तहसील सेड़वा

बनाम

प्रतिवादीगण:- 1. भैराराम 2.धर्माराम 3.केशाराम पि.विशनाराम 4.झीमों पत्नि विशनाराम
जाति जाट, निवासी नेहरों का तला, सेड़वा।
5.बाबूलाल 6.अचलाराम 7.हिन्दूराम पि. कंसराराम जाति जाट
निवासी नेहरों का तला, तहसील सेड़वा
8.शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे सेड़वा
9.तहसीलदार सेड़वा।

अधिवक्तागण - वादीगण वकील - श्री बाबूलाल जाणी
प्रतिवादीगण वकील -

अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अ.

निर्णय

दिनांक :- 15/7/17

वादीगण के वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम नेहरों का तला तहसील सेड़वा के खसरा सं. 264 रकबा 01.01 बीघा, खसरा सं. 278 रकबा 00.10 बीघा, खसरा सं. 314 रकबा 59.07 बीघा, खसरा सं. 319 रकबा 00.06 बीघा, खसरा सं. 282 रकबा 178.00 बीघा, खसरा सं. 309 रकबा 29.16 बीघा, खसरा सं. 320 रकबा 154.08 बीघा, खसरा सं. 255 रकबा 15.08 बीघा का आया हुआ है। उपरोक्त वादग्रस्त में प्रतिवादी सं. 1 से 4 का नाम हटाते हुए खसरा सं. 264 रकबा 01.01 बीघा, खसरा सं. 278 रकबा 00.10 बीघा, खसरा सं. 314 रकबा 59.07 बीघा, खसरा सं. 319 रकबा 00.06 बीघा में वादीगण सं. 1 से 3 को 1/4 हिस्सा, वादी सं. 4 को 1/4 हिस्सा, वादी सं. 5 को 1/4 हिस्सा, वादी सं. 6 से 8 को 1/4 हिस्सा, खसरा सं. 282 रकबा 178.00 बीघा में वादी सं. 1 से 3 को 1/4 हिस्सा से रकबा 44.10 बीघा, वादी सं. 4 का 1/4 हिस्सा से रकबा 44.10 बीघा, वादी सं. 5 का 1/4 हिस्सा से 44.10 बीघा, वादी सं. 6 से 8 का 35.12 बीघा व प्रतिवादी सं. 5 से 7 को 08.18 बीघा, खसरा सं. 309 रकबा 29.16 बीघा में वादी सं. 1 से 3 का 1/4 हिस्सा से 07.09 बीघा, वादी सं. 4 का 1/4 हिस्सा से रकबा 07.09 बीघा, वादी सं. 5 का 1/4 हिस्सा से रकबा 07.09 बीघा, वादी सं. 6 से 8 का 5.19 बीघा व प्रतिवादी सं. 5 से 7 का 01.10 बीघा, खसरा सं. 320 रकबा 154.08 बीघा में वादी सं. 1 से 3 का 1/4 हिस्सा से रकबा 38.12 बीघा, वादी सं. 4 का 1/4 हिस्सा से रकबा 38.12 बीघा, वादी सं. 5 का 1/4 हिस्सा से 38.12 बीघा, वादी सं. 6 से 8 तथा प्रतिवादी सं. 5 से 7 का 1/4 हिस्सा से रकबा 38.12 बीघा, खसरा सं. 255 रकबा 15.08 बीघा में वादी सं. 1 से 3 का 1/4 हिस्सा से रकबा 03.17 बीघा, वादी सं. 4 का 1/4 हिस्सा से रकबा 03.17



सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

बीघा, वादी सं. 5 का 1/4 हिस्सा से रकबा 03.17 बीघा तथा वादी सं. 6 से 8 तथा प्रतिवादी सं. 5 से 7 का 1/4 हिस्सा से 03.17 बीघा का खातेदार घोषित किया जावे । इस हेतु वाद पेश कर इस्तदुआ चाही गई।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प सेड़वा में पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित हुए। उभयपक्षकारान ने राजीनामा पेश किया । वादी साक्ष्य में पी.डब्ल्यू.1 तेजाराम तथा प्रतिवादी साक्ष्य में डी.डब्ल्यू.1 झीमों, डी.डब्ल्यू.2 धर्माराम, डी.डब्ल्यू.3 भैराराम, डी.डब्ल्यू. 4 केशाराम के बयान कलमबद्ध किये गये। उभयपक्षकारान को सुना गया। उभयपक्षकारान ने वाद को राजीनामा पेश कर स्वीकार किया ।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। समस्त दस्तावेजों एवं साक्ष्य सबूतों का अध्ययन अवलोकन किया गया। चूंकि उभयपक्षकारान राजीनामा अनुसार वाद को निर्णित करवाना चाहते है। अतः स्पष्ट होता है कि वादीगण का वाद स्वीकार करने योग्य है।

अतः न्यायहित में वादीगण का वाद स्वीकार कर ग्राम नेहरों का तला तहसील सेड़वा के खसरा सं. 264 रकबा 01.01 बीघा, खसरा सं. 278 रकबा 00.10 बीघा, खसरा सं. 314 रकबा 59.07 बीघा, खसरा सं. 319 रकबा 00.06 बीघा, खसरा सं. 282 रकबा 178.00 बीघा, खसरा सं. 309 रकबा 29.16 बीघा, खसरा सं. 320 रकबा 154.08 बीघा, खसरा सं. 255 रकबा 15.08 बीघा का आया हुआ है। उपरोक्त वादग्रस्त में प्रतिवादी सं. 1 से 4 का नाम हटाते हुए खसरा सं. 264 रकबा 01.01 बीघा, खसरा सं. 278 रकबा 00.10 बीघा, खसरा सं. 314 रकबा 59.07 बीघा, खसरा सं. 319 रकबा 00.06 बीघा में वादीगण सं. 1 से 3 को 1/4 हिस्सा, वादी सं. 4 को 1/4 हिस्सा, वादी सं. 5 को 1/4 हिस्सा, वादी सं. 6 से 8 को 1/4 हिस्सा, खसरा सं. 282 रकबा 178.00 बीघा में वादी सं. 1 से 3 को 1/4 हिस्सा से रकबा 44.10 बीघा, वादी सं. 4 का 1/4 हिस्सा से रकबा 44.10 बीघा, वादी सं. 5 का 1/4 हिस्सा से 44.10 बीघा, वादी सं. 6 से 8 का 35.12 बीघा व प्रतिवादी सं. 5 से 7 को 08.18 बीघा, खसरा सं. 309 रकबा 29.16 बीघा में वादी सं. 1 से 3 का 1/4 हिस्सा से 07.09 बीघा, वादी सं. 4 का 1/4 हिस्सा से रकबा 07.09 बीघा, वादी सं. 5 का 1/4 हिस्सा से रकबा 07.09 बीघा, वादी सं. 6 से 8 का 5.19 बीघा व प्रतिवादी सं. 5 से 7 का 01.10 बीघा, खसरा सं. 320 रकबा 154.08 बीघा में वादी सं. 1 से 3 का 1/4 हिस्सा से रकबा 38.12 बीघा, वादी सं. 4 का 1/4 हिस्सा से रकबा 38.12 बीघा, वादी सं. 5 का 1/4 हिस्सा से 38.12 बीघा, वादी सं. 6 से 8 तथा प्रतिवादी सं. 5 से 7 का 1/4 हिस्सा से रकबा 38.12 बीघा, खसरा सं. 255 रकबा 15.08 बीघा में वादी सं. 1 से 3 का 1/4 हिस्सा से रकबा 03.17 बीघा, वादी सं. 4 का 1/4 हिस्सा से रकबा 03.17 बीघा, वादी सं. 5 का 1/4 हिस्सा से रकबा 03.17 बीघा तथा वादी सं. 6 से 8 तथा प्रतिवादी सं. 5 से 7 का 1/4 हिस्सा से 03.17 बीघा का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है, कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।



पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/7/12 को न्याय आपके द्वार 2017 कोर्ट कैम्प सेड़वा में सुनवाया गया।


(भागीरथराम)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन